# कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय,मैनपुरी
## नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए जनपद न्यायालय, मैनपुरी की भूमि पर स्थित निम्नलिखित दुकानों, फोटोस्टेट, एवं साइकिल स्टैण्ड आदि की नीलामी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित नीलामी समिति की उपस्थिति एवं निर्देशन में दिनांक 08.03.2021 सम्पन्न नीलामी कार्यवाही में मात्र ठेका साईकिल दुपहिया वाहन स्टैण्ड ही उठ सका । उसके पश्चात माननीय जनपद न्यायाधीश की अनुमति से दिनांक 22.3.2021 व 31.3.2021 को पुनः नीलामी कार्यवाही की गयी किन्तु न्यूनतम सरकारी बोली की धनराशि एवं कोविड परिस्थितियों के कारण अन्य कोई ठेका नहीं उठ सका।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र सं. 3175/Admin(B-1)Sec. Dated: Allahabad, August, 25, 2021 में दिये गये निर्देशों एवं उक्त संदर्भ में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांक 31.08.2021 के अनुपालन में, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए जनपद न्यायालय, मैनपुरी की भूमि पर स्थित निम्नलिखित शेष दुकानों की नीलामी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित नीलामी समिति की उपस्थिति एवं निर्देशन में दिनांक 19.09.2021 को अपरान्ह 2.00 बजे से जनपद न्यायालय, मैनपुरी के मीटिंग कक्ष में पुनः सम्पन्न की जायेगी।

इच्छुक व्यक्ति नियत तिथि, समय एवं स्थान पर नीलामी में भाग लेने हेतु अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आई डी) के साथ उपस्थित हो।

## नीलाम होने वाली दुकानों का विवरण

| | | |
|---|---|---|
| 1. | ठेका केन्टीन | 01 |
| 2. | ठेका पान सुपारी सिगरेट | 02 |
| 3. | ठेका फल,जूस वेल, सिकंजी, फलों का जूस | 01 |
| 4. | उबला भुना चना, मूँगफली, भुना आलू एवं भुट्टा | 01 |
| 5. | ठेका फोटो स्टेट | 01 |
| 6. | ठेका फोटोग्राफी | 01 |
| 7. | ठेका मंजन, चूर्ण एवं तेल | 02 |

## नीलामी की शर्ते निम्नलिखित है :–

1. यह ठेका, नीलामी कार्यवाही पूर्ण होने की दिनांक से 31.03.2022 तक के लिए वैध होगा।

2. जिस ठेकेदार के यहॉ ठेके से सम्बन्धित कोई भी धनराशि किसी भी समय का बकाया है, उसको या उसके परिवार के सदस्यों को या प्रतिनिधि को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नही होगा। यदि किसी प्रकार वह व्यक्ति ठेका प्राप्त भी कर लेता है तो इसकी जानकारी होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और उक्त दुकान की पुनः बोली करा दी जायेगी।

3. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को बोली बोलने हेतु 10,000/–रूपये कॉशन मनी के रूप में बोली बोलने से पूर्व केन्द्रीय नाजिर के पास जमा करना होगा।

4. जिस व्यक्ति के ठेके की बोली नीलामी अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृत की जायेगी, उसे बोली समाप्त होने के तुरन्त बाद बोली की धनराशि का 40 प्रतिशत तत्काल व 30 प्रतिशत नवम्बर 2021 व शेष 30 प्रतिशत जनवरी 2022 तक नकद केन्द्रीय नाजिर के पास जमा करना अनिवार्य होगा।

5. जिस ठेकेदार के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत होगी वह व्यक्ति अपनी दुकान स्वंय चलायेगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे सम्बन्धी या किसी अन्य को हस्तान्तरित नही करेगा। उपर्युक्त बातों की जानकारी किसी प्रकार होने पर दुकान का ठेका निरस्त करके जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी और पुनः नीलामी करा दी जायेगी।

7. ठेके की बोली को स्वीकृत व अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश को होगा तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा एवं माननीय जनपद न्यायाधीश को अधिकतम् बोलीदाता का ठेका भी बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

8. जिस व्यक्ति के नाम ठेका होगा उसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्र सं.31/एस दिनांकित 16.03.1988 मे दी गयी शर्तो के अनुसार दुकानदार को बोली के पश्चात रू.100.00 का स्टैम्प लेकर आना होगा और अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा।

9. ठेकेदार को अपने दुकान के आस पास सफाई स्वंय करनी होगी। माननीय उच्च न्यायालय , इलाहाबाद के परिपत्र सं.139 दिनांकित 18.03.1979 के अनुसार प्रत्येक सामानों की दर सूची प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा सत्यापित कराकर ऐसे स्थान पर लगायी जायेगी जहॉ से प्रत्येक ग्राहक आसानी से देख सके।

10. माननीय जनपद न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय स्वंय अथवा किसी व्यक्ति को अधिकृत करके खाद्य पदार्थो की दुकानों का हर प्रकार से निरीक्षण करा सकेगें।

11. जितनी भूमि दुकान करने हेतु दी जायेगी,उसी में दुकान करना होगा।

12. पान के ठेकदार तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी तथा तम्बाकू से निर्मित सामग्री नही बेचेगे, इस सम्बन्ध में उन्हें एक अंडरटेकिंग देनी होगी।

13. ठेकेदार जो खाद्य सामग्री बिक्री करेगें, वह खाद्य अपमिश्रण एक्ट के मानकों के अनुरूप होगी तथा कोई भी ठेकेदार अपमिश्रित खाद्य सामग्री का विक्रय नही करेगा।

14. वर्तमान समय में चल रहे कोविड–19 के बचाव हेतु माननीय उच्च न्यायालय एवं शासनादेशों द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन ठेकेदारों द्वारा स्वंय के व्यय पर किया जायेगा।

15. किसी भी दुकानदार द्वारा ठेके पर दुकान प्राप्त करने के प्रयोजन के अलावा अन्य किसी कार्य हेतु दुकान का प्रयोग या उपयोग नही किया जायेगा और ना ही किसी अवैध कार्य में प्रयोग तथा किया कलाप में संलिप्त रहेगा।

16. उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी व्यक्ति के दुकान का ठेका निरस्त कर दें या पुनः नीलामी करा दें और शासकीय नुकसान की वसूली उसके द्वारा या उसके सम्पत्ति से करा दें।

दिनांकः ,सितम्बर,2021

07.09.21 04.09.2021 04-9-2021

| | | |
|---|---|---|
| **(अमित मिश्रा)** | **(पूनम राजपूत)** | **(प्रदीप कुमार–V)** |
| सदस्य समिति/ | सदस्य समिति/ | अध्यक्ष,नीलामी समिति/ |
| सिविल जज (प्रवर वर्ग) / | विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट) | विशेष न्यायाधीश (एस.सी/ |
| मैनपुरी | मैनपुरी | एस.टी.एक्ट) मैनपुरी |